# न्यायालय:—न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला (म०प्र०) (पीठासीन अधिकारी—धन कुमार कुड़ोपा)

<u>दांडिक0प्र0क0-626 / 13</u> <u>संस्था0दि0 30 / 12 / 13</u> <u>फाईलन.233504000782013</u>

मध्य प्रदेश शासन द्धारा आरक्षी केन्द्र, थाना आमला, जिला बैतूल (म०प्र०)

\_\_\_\_<u>अभियोजन</u>

#### -: विरूद्ध:-

- 1. कृष्णाधार पिता साहेबलाल सोनी, उम्र 61 वर्ष,
- 2. ताराबाई पति कृष्णाधार सोनी, उम्र 54 वर्ष,
- कैलाश पिता कृष्णाधार सोनी, उम्र 31 वर्ष, सभी—जाति सोनी, नि०ग्राम अंधारिया, थाना आमला, जिला बैतूल (म०प्र०)

### ---- <u>अभियुक्तगण</u>

## <u>—: निर्णय :—</u> (आज दिनांक 22 / 09 / 2016 को घोषित)

- 1— अभियुक्तगण के विरुद्ध भा०दं०वि० की धारा 498 "ए" एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा—3/4 के तहत् अभियोग है कि आपने दिनांक 23/06/11 से आज तक ग्राम अंधारिया थाना आमला जिला बैतूल के अंतर्गत फरियादी श्रीमति पूनम सोनी, जो कि एक जो कि स्त्री है, के यथा स्थिति पित अथवा पित के नातेदार होते हुये दहेज की मांग को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर कुरता कारित की। उक्त समयाविध में आपने फरियादी सेस दो लाख रूपये एवं मोटर सायिकल की मांग कर उसके माता पिता से लाने के लिए दुष्प्रेरित किया।
- 2— प्रकरण में आदेश पत्रिका दिनांक 22/06/16 को अभियुक्त और फरियादी पूनम के बीच राजीनामा होने से आपसी राजीनामा आवेदन पत्र पेश किया गया। अभियुक्तगण के विरूद्ध भा0दं0वि० की धारा—498 ''ए'' एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा—3/4 का अपराध राजीनामा योग्य न होने से अभियुक्त का राजीनामा आवेदन पत्र निरस्त किया गया।
- 3— अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी ने महिला हेल्प डेस्क को ससुराल में दहेज को लेकर शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताडित करने बाबत् आवेदन पत्र पेश कर व्यक्त किया है कि प्रार्थीया अंधारिया रहती है उसका विवाह 23/06/16 को आमा में कृष्णाधार के बेटे कैलाश के साथ सामजिक रिति से हुआ था। शादी के बाद ससुराल में 2—3 माह तक दाम्पत्य जीवन पति के साथ अच्छा रहा फिर जब से दोबारा ससुराल गई तो उसकी सास ससुर कहने लगे कि दुकान बड़ी करना है। सामान भरना है। तेरे बाप से दो लाखरूपये एवं मोटर साईकिल लेकर आओ, यह बात उसने माता पिता परिवार में बताई। उसके बी काम के पेपर आ गए पति ने पेपर देने से मना किया तथा उसे मारपीट ककर तिकए से उसका मुंह दबाया। उसने किसी तरह सुचना मायके में दी।

उसके सास ससुर के भड़काने पर उसका पित उसे मारपीट कर परेशान किय जिससे वह बेहोश हो गई तो उसकी सास तारा सोनी ने उसके सारे जेवर उतार लिए उसे ईलाज को पित कैलाश आमला लाए वहां उसके चाचा श्रवण सोनी बहन नम्रता मको पता चला उन्होंने भी उसका इलाज कराया। उसने मायके में रहकर अपना इलाज कराया। उसे धमकी दी जा रही है कि दो लाख रूपये एवं मोटर साईकिल लेकर आना तो ही उसे रखेगें नहीं तो तलाक दो तब उसके मायके में ही रह रही है।

4— फरियादी की रिपोर्ट पर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0आर0 रहमतसिंह के द्वारा तैयार की गई जिसके आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 490/13 भा.द. सं धारा—498 "ए" एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा— 3, 4 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। दिनांक 05/12/13 को सम्पत्ति जप्ती पत्रक प्र.पी. 3 तैयार किया गया, साक्षियों के कथन उनके बताये अनुसार लेख किया, अभियुक्त को गिरफ्तार गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया। 5— अभियुक्त के विरुद्ध धारा 313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्तगण का अभियुक्त परीक्षण किया गया। अभियुक्तगण ने अपने अभियुक्त परीक्षण में कहा कि वे निर्दोष है उन्हें झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त कथन के दौरान बचाव पक्ष ने बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

### 6— : <u>न्यायालय के समक्ष यह विचारणीय प्रश्न यह है कि :</u>—

1—''क्या आपने दिनांक 23/06/11 से आज तक ग्राम अंधारिया थाना आमला जिला बैतूल के अंतर्गत फरियादी श्रीमित पूनम सोनी, जो कि एक जो कि स्त्री है, के यथा स्थिति पित अथवा पित के नातेदार होते हुये दहेज की मांग को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर क़ुरता कारित की।

2— " क्या आपने उक्त दिनांक समय व स्थान पर उक्त समयावधि में आपने फरियादी से दो लाख रूपये एवं मोटर सायकिल की मांग कर उसके माता पिता से लाने के लिए दुष्प्रेरित किया?"

### -: <u>निष्कर्ष एवं उसके आधार</u>:-विचारणीय प्रश्न क0 1, 2 का निराकरण

7— सुविधा की दृष्टि से विचारणीय प्रश्न कं. 1, 2 का निराकरण साथ में किया जा रहा है। क्योंकि प्रकरण में साक्ष्य की पुनरावृत्ति न हों।

8— अभियोजन साक्षी पूनम (अ.सा.1) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि शादी के बाद से उसके ससुराल अंधारिया आ गई थी। वह उसके ससुराल में एक दो महीने ठीक से रही फिर उसक पित सास ससुर ने शारीरिक व मानसिक रूप से टार्चर करने लगे। पहले अभियुक्तगण ने इस बात का वादा किया था कि पढ़ायेगें लिखायेगें, लेकिन बाद में मना कर दिया, वह जब पेपर देने सारणी आती थी तो उसे गंदे इल्जाम लगाते थे और सभी अभियुक्तगण बोलते थे कि उसका किसी के साथ अफेयर है, जब वह उसके ससुराल जाती थी तो उसका पित कैलाश उसके मुंह में तिकया रख देता था। उसका पित कैलाश उसके साथ डराना धमकाना एवं मारना पीटना करता था। उसका पित कैलाश बहुत ज्यादा टार्चर करता था। वह ससुराल में खड़ी रहती थी तो उसके उपर कुछ गर्म चीज फेंक देता था जब वह खाना बनाती थी तो वहां आकर उसकी चिमटी काट देता था कभी उपर से कभी

नीचें से गेंस बंद कर देता था। उसे एक बार बेहोशी हालत में उसका भाई अशोक लेकर आया था, तब उसका इलाज डाँ० पंकज के यहां हुआ था, डाँ० जौहर के पास भी उसका इलाज हुआ था, जब वह बिमार थी, तब उसके पित ने उसे कोई एक्सपायरी डेट की केपसुल खिला दी थी, तो उसका बी०पी० लो हो गया था वह चक्कर खा कर गिर गई थी जिसका इलाज पंकज डाँ० और सरकारी डाँ० के पास हुआ था। उक्त साक्ष्य को बचाव पक्ष की ओर से खंडन किया गया है।

9— इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 5 में स्वीकार किया है कि उसके पित ने उसे साथ में रखने का प्रकरण पेश किया था उसके पूर्व तक उसने अभियुक्तगण के खिलाफ कोई दहेज की शिकायत नहीं की थी। आगे इस गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि उसका उसके पित से और सास, ससुर से राजीनामा हो गया है राजीनामा उसने बिना किसी डर दबाव के उसकी मर्जी से किया है। आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 6 में स्वीकार किया है कि जिस समय उसने पुलिस में रिपोर्ट की थी उस समय वह पढ़ना चाहती थी पढ़ाई की दिक्कत हो रही थी इसलिए उसने गुस्से में आकर अभियुक्तगण की शिकायत की थी। आगे इस गवाह ने यह भी व्यक्त किया है कि उसने पुलिस को ऐसा बताया था कि उसका पित उसे केपसुल खिलाता था जिससे उसका ब्लेड प्रेशर लो हो गया था। उक्त बातें उसके बयान, पुलिस रिपोर्ट में न लिखी हो तो वह उसका कारण नहीं बता सकती। आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 7 में स्वीकार किया है कि उसके पित कम पढ़े लिखे है वह पढना चाहती थी। वह अंधारिया गांव है ऐसी बहुत सारी परिस्थितियाँ थी जिससे उसे लगता था कि वे दोनों के बीच सांमाजस्य नहीं होगा।

10— आगे इस गवाह ने यह भी स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है कि वह उसके पित के साथ नहीं रहना चाहती है। आगे यह भी स्वीकार किया है कि इसलिए उसके पिता ने जो दहेज का सामान दिया था और जो जेवरात दिये थे वह सभी उसने प्राप्त कर लिये है। आगे यह भी स्वीकार किया है कि वह अभियुक्तगण के खिलाफ दहेज के प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं चाहती है। आगे यह भी स्वीकार किया है कि बदली हुई परिस्थितियों में उसने उसके पित और ससुराल वालों से समझौता कर लिया है। आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 9 में स्वीकार किया है कि उसे शादी के पहले ही मालूम चल जाता कि आरोपी दसवी फेल है और उसका घर कम्माईन्ड है और उसके घर में पर्याप्त व्यवस्था नहीं है तो वह अभियुक्त कैलाश के साथ शादी नहीं करती। आगे इस गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि पुलिस वालों ने जैसा लिखाया था वैसा उसने लिखा था।

11— आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 10 में स्वीकार किया है कि राजीनामा करने के लिए और सामान लेने के लिए अभियुक्तगण से कहा था कि अभियुक्तगण ने उससे नहीं कहा था। आगे यह भी स्वीकार किया है कि कल न्यायालय में आई थी और उसने स्वयं न्यायालय में कहा था कि उसे उसके ससुराल वाले सामान दे देगें तो वह राजीनामा कर लेगी। आगे यह भी स्वीकार किया है कि कल उसके ससुराल वालों ने उसे पूरा सामान वापस दे दिया था। आगे यह भी स्वीकार किया है कि उसने आज उसके ससुराल के लोगों से सोने की चैन, सोने की अंगूठी, भगवान की पूजा करने का पेंडल और शादी में दी गई श्रीमद् भागवत् गीता उसके पित से प्राप्त कर ली है। आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 11 में व्यक्त किया है कि बिछिया और उसकी पट्टी कम थी उसके ससुराल के लोगों ने तुरंत नई पैर पट्टी और नई बिछिया लाकर दी उसके बाद ही उसने राजीनामा किया है।

12— इस प्रकार स्वयं फरियादी के द्वारा प्रतिपरीक्षा में किए गए स्वीकृत तथ्यों से यह स्पष्ट है कि फरियादी पढ़ना चाहती थी और उसका पति कम पढ़ा लिखा था वह उसके साथ नहीं रहना चाहती थी। जिससे यह स्पष्ट होता है कि आवेदिका द्वारा जो अभियुक्तगण के द्वारा मारपीट करने गर्म चीज फेंकने एवं अभियुक्तगण मायके से कभी एक लाख रूपये दो लाख रूपये लेकर आओ और खाना नहीं बनाती थी चिमटी काट देते थे कभी नीचे से गेंस बंद कर देते थे एवं एक्सपाईरी डेट की केपसुल खिला देने के जो भी तथ्य बताये है वह असत्य व निराधार बताए गए है क्योंकि उसके द्वारा अभियुक्तगण के द्वारा स्वेच्छया पूर्वक बिना किसी डर दवाब के राजीनामा कर दहेज का पूरा सामान वापिस ले लिया गया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि अभियुक्तगण के द्वारा शारिरीक व मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया गया तथा ना ही दहेज में दो लाख रूपये एवं मोटर साईकिल की मांग कर उसके माता पिता से लाने के लिए दुष्प्रेरित किया।

अभियोजन साक्षी महेश सोनी (अ०सा०२) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि दिनांक 23 जुलाई 2011 को उसकी बेटी का विवाह आरोपी कैलाश के साथ ग्राम पाथाखेडा में सम्पन्न हुई थी। शादी के बाद उसकी लडकी उसके ससुराल अंधारिया आ गई थी। जब आरोपी कैलाश के पिताजी उसके बड़े पिताजी लड़की मांगने गये तब इन लोगों ने बोला था कि उनका लडका कैलाश सेकेन्डीयर पास है उन्हें शादी के बाद पता चला था कि कैलाश दसवी फेल है। उन्होंने यह प्रश्न कैलाश के पिता कृष्णधार एवं बडे पिता रामाधार के समक्ष रखा था कि शादी के बाद भी पढेगी रिश्ता तय करते समय इन्होंने कहा था कि वह लडकी को पढायेगें। शादी के बाद लडकी उसके ससुराल अंधारिया चली गई थी जब लडकी अंधारिया से पाथाखेडा पेपर देने आती थी तब उसके ससुराल वाले उसका पति कैलाश सास ताराबाई ससुर कृष्णधार उसको प्रताडित करते और कहते थे कि पेपर देने मत जावो पढाई मत करो। उसकी लडकी घर आकर बताती थी कि उसे पढने नहीं देते कहते थे कि तुम पढाई छोड दो। इसीप्रकार से उसे प्रताडित करते थे उसकी कापी पुस्तक छिन लेते थे छुपा देते थे। जब लडकी उनके पास पाथाखेडा आती थी तब वह फिर पुस्तकों की पूर्ति करता था। यही सिललिसा दो तीन सालों तक चलता रहा, जब लडकी पेपर देने आई तब आरोपी कैलाश उन्हें परामर्श केन्द्र में बैतूल बुलाया था। वहां भी दोनों को समझाते थे लेकिन कैलाश और उनके परिवार वालों को समझ नहीं आती थी। लडकी उनके घर आकर बताती थी कि आरोपी कैलाश उसके मुंह में तकिया रख देता था कैलाश गेंस चालू करके छोड देता था और उसकी लडकी को कहता था कि जाकर चाय बनावो।

14— जबिक इस गवाह को शासन की ओर से पक्षिविरोधी घोषित किया गया है और इस गवाह ने यह अस्वीकार किया है कि उसकी लड़की पूनम से आरोपी कैलाश ससुर कृष्णधार एवं ताराबाई दहेज में दो लाख रूपये एवं मोटर साईकिल की मांग करते थे। आगे इस गवाह ने यह भी अस्वीकार किया है कि उसने पुलिस को प्र0पी0 5 का ए से ए भाग का बयान दिया था। आगे यह भी अस्वीकार किया है कि उसकी लड़की ने बताया था कि अभियुक्तगण ने मारपीट किया था। आगे यह भी अस्वीकार किया है कि दहेज की मांग को लेकर अभियुक्तगण ने उसकी लड़की को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडित किया था। आगे यह भी स्वीकार किया है कि अभियुक्तगण और उसकी लड़की का आपस में राजीनामा हो गया है। आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 5 में स्वीकार किया है कि उसकी लड़की को अभियुक्तगण ने कभी दहेज के लिए प्रताड़ित नहीं किया। आगे यह भी स्वीकार किया है कि उसकी लड़की ने उसे यह कभी नहीं बताया कि अभियुक्तगण उससे कोई दान दहेज की मांग नहीं की। आगे इस गवाह ने व्यक्त किया है कि उसकी लड़की पढ़ना चाहती थी उसी बात का विवाद था, दहेज का कोई विवाद नहीं था। आगे यह भी व्यक्त किया है कि उसके दामाद ने उसकी लड़की को साथ में रखने के लिए मुलताई न्यायालय में केश पेश किया था। आगे इस गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि उसके बाद ही

उसकी लड़की ने पुलिस में केश की थी। आगे इस गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि अभियुक्तगण कोर्ट कचेरी शुरू नहीं करते थे वे भी अभियुक्तगण की पुलिस में रिपोर्ट नहीं करते।

जागे यह भी स्वीकार किया है कि उन्हें दहेज में दिया गया पूरा सामान और जेवर मिल गये है। आगे यह भी व्यक्त किया है कि उसकी लड़की ने उससे कहा है कि पापा वह अभियुक्तगण के खिलाफ कोई कार्यवाही नही चाहती है। इस प्रकार इस गवाह के सूचक प्रश्न एवं प्रतिपरीक्षा में आए तथ्यों से यही स्पष्ट होता है कि फरियादी पूनम सोनी पढ़ना चाहती थी इसी बात का विवाद था। इस कारण उसने अभियुक्तगण के खिलाफ शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के जो भी तथ्य बताए है और दहेज में उसके माता पिता से दहेज में मोटरसाईकिल व दो लाख रूपये की मांग करने की जो बात बताई है वह असत्य व झूठी है। उक्त परिस्थितियों में यह नहीं माना जा सकता है कि अभियुक्तगण के द्वारा शारिरीक व मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया गया तथा ना ही दहेज में दो लाख रूपये एवं मोटर साईकिल की मांग कर उसके माता पिता से लाने के लिए दुष्प्रेरित किया।

16— उर्पयुक्त किए गए साक्ष्य एवं विश्लेषण से यह स्पष्ट नहीं है कि अभियुक्तगण ने फरियादी श्रीमित पूनम सोनी, जो कि एक जो कि स्त्री है, के यथा स्थिति पित अथवा पित के नातेदार होते हुये दहेज की मांग को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर कुरता कारित की। उर्पयुक्त किए गए साक्ष्य एवं विश्लेषण से यह भी स्पष्ट नहीं है कि अभियुक्तगण ने फरियादी से दो लाख रूपये एवं मोटर सायिकल की मांग कर उसके माता पिता से लाने के लिए दुष्प्रेरित किया। इस प्रकार विचारणीय प्रश्न कं. 1, 2 का निराकरण "अप्रमाणित" रूप से किया जाता है।

17— उर्पयुक्त अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति—युक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्तगण ने फरियादी श्रीमित पूनम सोनी, जो कि एक जो कि स्त्री है, के यथा स्थिति पित अथवा पित के नातेदार होते हुये दहेज की मांग को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर कुरता कारित की। उर्पयुक्त अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति—युक्त संदेह से परे यह भी प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्तगण ने फरियादी से दो लाख रूपये एवं मोटर सायिकल की मांग कर उसके माता पिता से लाने के लिए दुष्प्रेरित किया। इस प्रकार अभियुक्तगण कृष्णाधार, कैलाश, ताराबाई को भा0द0वि0 की धारा—498 "ए" एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा—3/4 के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

18— अभियुक्तगण के धारा—313 द0प्र0स0 के पूर्व प्रस्तुत जमानत मुचलका भारमुक्त किया जावे। अभियुक्तगण का धारा 428 द0प्र0सं0 का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे।

19— प्रकरण में जप्त शुदा सामाग्री शादी का कार्ड एवं दहेज की सूची मूल्यहीन होने से नष्ट की जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय का निर्णय/आदेश मान्य किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय मे हस्ताक्षरित एवं

मेरे बोलने पर टंकित।

दिनांकित कर घोषित किया गया।

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, जिला बैतूल म0प्र0 न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, जिला बैतूल म0प्र0